The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	247]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2011/अग्रहायण 7, 1933
No.	247]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2011/AGRAHAYANA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सं. एफ. 1/10/2011-एनएस-II.—-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि किसान विकास पत्रों की बिक्री, बुधवार को समाप्त होने वाले कारोबार की तारीख 30 नवम्बर, 2011 से बंद हो जाएगी ।

एम. ए. खान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

No.F. 1/10/2011-NS-II.—It is notified for general information that the sale of Kisan Vikas Patras shall be discontinued with effect from the close of business on Wednesday, the 30th November, 2011.

M.A. KHAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सं. एफ. 1/12/2011-एनएस-II.---केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि प्राधिकृत मानकीकृत एजेंसी प्रणाली और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के एजेंटों को मानकीकृत एजेंसी प्रणाली और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अधीन उनके द्वारा निष्पादित किए गए करार के निबंधनों के अनुसार लघु बचत योजनाओं में प्रचार/निवेश प्राप्त करने पर निम्नांकित दर पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा :---

(क) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई)

(i) पांच वर्षीय आवर्ती जमा खाता

4338 GI/2011

(1)

दर --4 प्रतिशत

•			
	(i)	एक वर्षीय सावधि जमा	0.5 प्रतिशत
	(ii)	दो वर्षीय और तीन वर्षीय सावधि जमा	0.5 प्रतिशत
	(iii)	पांच वर्षीय सावधि जमा	—0.5 प्रतिशत
	(iv)	मासिक आय खाता योजना	
	(v)	पांच छ: वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम)	
	(vi)	दस वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (IX निर्गम)	

 2. लोक भविष्य निधि योजना (1%) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (0.5%) के संबंध में दिया जाने वाला कमीशन समाप्त किया जाएगा ।

3. राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दिया जाने वाला कोई प्रोत्साहन, यदि कोई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले कमीशन में से कम कर दिया जाएगा ।

4. ये अनुदेश पहली दिसम्बर, 2011 से लागू होंगे ।

(ख) मानकीकत एजेंसी प्रणाली (एसएएस)

एम. ए. खान, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

No. F. 1/12/2011-NS-II.—The Central Government hereby notifies that the authorised Standardised Agency System (SAS) and Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana (MPKBY) agents for canvassing/securing investments in the small savings schemes as per the terms of agreement executed by them under the Standardised Agency System (SAS) and Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana (MPKBY) will be paid commission at the rate indicated below :

(A)	Mal	hila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana (MPKBY)	Rate		
	(i)	Five Year Recurring Deposit Account			
(B)	Standardised Agency System (SAS)				
	(i)	One-year Time Deposit	0.5%		
	(ii)	Two-year and 3-year Time Deposit	0.5 %		
	(iii)	Five-year Time Deposit	0.5%		
	(iv)	Monthly Income Account Scheme	0.5%		
	(v)	Five/Six-year National Savings Certificate (VIII-Issue)	0.5%		
	(vi)	Ten-year National Savings Certificate (IX-Issue)	0.5%		

2. Payment of commission on Public Provident Scheme (1%) and Senior Citizens Savings Scheme (0.5%) shall be discontinued.

3. Incentive, if any, paid by State/Union Territory Governments shall be reduced from commission paid by the Central Government.

4. These instructions shall take effect from the 1st day of December, 2011.

M.A. KHAN, Under Secy.